राजस्थान सरकार
न्याय विभाग

क्रमांकः प. 2(2) सामान्य/न्याय/2016 जयपुर, दिनांक 02.02.2017

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव/
   प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
2. समस्त विभागाध्यक्ष
3. समस्त जिला कलक्टर
   (जिला नोडल अधिकारी, लाईट्स)

विषयः—लाईट्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से न्यायिक प्रकरणों का प्रभावी पर्यवेक्षण।

महोदय,

राज्य सरकार से सम्बन्धित न्यायिक प्रकरणों के प्रभावी पर्यवेक्षण एवं सरकार के पक्ष के उचित प्रतिरक्षण हेतु यह आवश्यक है कि समय—समय पर न्यायालय द्वारा प्रदान किये गये निर्णयों एवं प्रकरणों से सम्बन्धित कार्यवाही समय पर की जायें।

उपरोक्त रूप से उल्लिखित कार्यवाही के क्रियान्वयन हेतु इस कार्यालय द्वारा निम्नांकित रिपोर्ट लाईट्स सॉफ्टवेयर पर निष्यंतक (Filter) के साथ आवश्यकतानुसार उपयोग करने के लिए लाईट्स सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड पर "Attention Warranted" के रूप में प्रदर्शित कर दी गयी हैं :—

Court Type	Pending Cases			Decided Cases	
	Pending for More Than 10 Years	Contempt Cases (SC, HC and RCSAT)	Reply Not Filed for More Than 3 Months	Order Pending for Compliance for More Than 3 Months	Order Pending for Appeal for More Than 3 Months

उक्त वर्णन की पृष्ठभूमि में आपसे अनुरोध है कि राज्य सरकार से सम्बन्धित न्यायिक प्रकरणों के प्रभावी पर्यवेक्षण एवं सरकार के पक्ष के उचित प्रतिरक्षण हेतु उक्त सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग के लिए अधीनस्थ संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देश प्रदान करने का श्रम करें।

भवदीय

शासन संयुक्त सचिव

D:\SO\ P. 2(2) LITES –Gen Files